कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य/पेंशन–अ/34928/09/ दिनांक 11.01.2017

: : **परिपत्र** : :

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1996 के नियम–78 के नीचे दिये गये सेवानिवृत्ति के आदेश का प्रारूप 6 के सम्बन्ध में ।

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक–प.12 (6) वित्त/नियम/008 दिनांक 24.03.2015 द्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप–6 के अनुच्छेद 2 (3) में अंकित कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है । आशय बाबत राज्य सेवक की सेवानिवृत्ति के समय उक्त प्रारूप–6 की पूर्ति किये जाते समय विभागों/कार्यालयाध्यक्षों को इस अनुच्छेद 2 (3) की पूर्ति के सम्बन्ध में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों का ध्यान रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई न्यायिक कार्यवाईयां विचाराधीन है/लम्बित नहीं है से आशय कार्मिक द्वारा सेवा के दौरान राजकीय कार्य के निष्पादन के दौरान ऐसा कोई कृत्य/कार्य नहीं किया गया है जिसके कारण कार्मिक के विरूद्ध कोई अभियोजन स्वीकृति जारी की गई हो । इससे भिन्न यदि कोई न्यायिक प्रकरण किसी कार्मिके के विरूद्ध विचाराधीन/लम्बित है तो उसकी सूचना पेंशन प्रकरण के निस्तारण हेतु अपेक्षित नहीं होगी । इसकी कठोरता से पालना की जावे ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य/पेंशन–अ/34928/09/ दिनांक 11.01.2017

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक शिक्षा ।
3. अनुभागाधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारियों को ई–मेल सुनिश्चित करें।
4. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन "ए–बी"/सी/एफ/सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5. अनुभाग अधिकारी, शिविरा प्रकाशन अनुभाग को शिविरा पत्रिका में प्रकाशन हेतु ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर